न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या 18/2024 जी.सी.एम.एस. संख्या :– 2024/65

1. नहना पत्नी स्व0 अर्जुन
2. त्रिलोक पुत्र स्व0 अर्जुन
3. कमला पत्नी स्व0 खेमराज
4. भाव्यांश पुत्र स्व0 खेमराज नाबालिग उम्र 3 वर्ष जरिये संरक्षक माता कमला देवी पत्नी स्व0 खेमराज।
5. मनोहर पुत्र स्व0 रामावतार
6. भरतलाल पुत्र स्व0 रामावतार
7. लाली पत्नी स्व0 रामावतार

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम हीरावाला उर्फ विजय मुकुन्दपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–: प्रार्थीगण :–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तूंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र काना जाति मीना निवासी ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. श्योजी पुत्र काना जाति मीना निवासी ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–: अप्रार्थीगण :–

4. रामनारायण पुत्र नरसिंहा
5. सियाराम पुत्र नरसिंहा

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–: तरतीबी अप्रार्थीगण :–

उपस्थित :– श्री सुधीर शर्मा, एड0 प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल0 आर0 एक्ट 1956

निर्णय

दिनांक 11/07/2025

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 में पेश कर अवगत करवाया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 0.8472 हैक्टेयर वाके ग्राम हीरावाला उर्फ विजय मुकुन्दपुरा प.ह. रामरतनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। विवादित भूमि

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला–जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 56 रकबा 0.5817 है0 वाके ग्राम हीरावाला उर्फ विजय मुकुन्दपुरा प.ह. रामरतनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 की पैतृक कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है एवं जिसके पूर्व में एकीकरण से पूर्व खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 के पूर्वज स्व0 नरसिंहा पुत्र सरवा मीना थे एवं उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि उनके पुत्रान गोपाल, रामनारायण, सियाराम को विरासत के आधार पर प्राप्त हुई थी एवं गोपाल पुत्र नरसिंहा की मृत्यु हो चुकी हैं एवं उनकी विरासत का नामान्तकरण उनके पुत्र अर्जुन, रामावतार व पत्नी तुलसी के नाम खुला व तस्दीक हुआ था एवं अर्जुन, रामावतार पुत्रान गोपाल व तुलसी पत्नि गोपाल की मृत्यु हो चुकी हैं। अर्जुन पुत्र गोपाल के वारिसान प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 हैं एवं रामावतार पुत्र गोपाल की मृत्यु के बाद उनकी विरासत का नामान्तकरण उनके वारिसान खेमराज, भरतलाल पुत्रान रामावतार, लाली पत्नि रामावतार के खुल व तस्दीक हो गया था एवं खेमराज पुत्र रामावतार की मृत्यु हो चुकी है एवं उनके वारिसान प्रार्थीगण संख्या 3 व 4 हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 0.8472 हैक्टेयर वाके ग्राम हीरावाला उर्फ विजय मुकुन्दपुरा प.ह. रामरतनपुरा तहसील बस्सी के पूर्व में एकीकरण से पूर्व साबिका खसरा नम्बर 211 मी. रकबा 5 बिस्वा, ख नं. 213 रकबा 1 बीघा, ख नं. 214 रकबा 19 बिस्वा, ख. नं. 212 रकबा 6 बिस्वा, ख. नं. 207 रकबा 17 बिस्वा थे एवं एकीकरण में उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 55 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा थे। प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमि खसरा नं. 56 रकबा 0.5817 हेक्टेयर के खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 एवं एकीकरण से पूर्व उक्त भूमि के साबिका खसरा नम्बर 195 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, ख. नं. 210 रकबा 2 बिस्वा, ख. नं. 209 रकबा 6 बिस्वा ख नं. 211 मी. रकबा 13 बिस्वा थे एवं एकीकरण में उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 56 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कायम हुये थे। एकीकरण के दौरान एकीकरण विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने उक्त वर्णित विवादित भूमियों के नक्शे में तरमीम सम्वत 2015 के नक्शे के मुताबिक नहीं कर गलत तरमीम कर दी गयी थी एवं एकीकरण के पश्चात भी सम्वत 2015 के नक्शे के मुताबिक तरमीम राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा दुरूस्त नहीं की गयी एवं गलत तरमीम कर दी गयी एवं उक्त गलत तरमीम करते समय प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण के पूर्वज स्व0 नरसिंगा पुत्र सखा मीना को एकीकरण विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा सुनवायी का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था एवं एकीकरण के पश्चात भी राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा सुनवायी का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था एवं न ही वर्तमान नक्शे में गलत तरमीम करते समय प्रार्थीगण को सुनवायी का अवसर प्रदान किया गया था। प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमियों ख. नं. 55, 56 के वर्तमान जमाबंदी व नक्शा की नकल प्रार्थीगण संख्या 5 व 6 द्वारा पटवारी हल्का रामरतनपुरा से दिनांक 28.02.2024

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

को प्राप्त की एवं उसका अवलोकन किया तो प्रार्थीगण को जानकारी हुयी कि राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा उक्त भूमियों के वर्तमान खसरा नम्बरों की तरमीम वर्तमान नक्शे में सम्वत 2015 के साविका नक्शे के मुताबिक दुरुस्त नहीं की गयी है एवं इस पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमियों के वर्तमान नक्शा व साविका नक्शा व मिलान अनुसार एकीकरण व वर्तमान व साविका जमाबंदीया व एकीकरण खतौनी की प्रमाणित नकलें निकलवा कर अपने अधिवक्ता से दिनांक 19.03.2024 को कानूनी सलाह प्राप्त की गयी तो प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा वर्तमान नक्शे की तरमीग को साविका नक्शे के मुताबिक दुरुस्त करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश करने की कानूनी सलाह प्रार्थीगण को दी गयी। इस कारण प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ है एवं दिनांक 19.3.2024 को अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने प्रार्थीगण को विवादित भूमियों के वर्तमान नक्शे की तरमीम को सम्वत 2015 के नक्शे के मुताबिक दुरूस्त करवाने से इन्कार कर दिया एवं इस कारण भी प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवायी का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र निर्धारित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत हैं। तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होते समय ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकन्दपुरा में नहीं थे एवं बाहर गये हुये थे एवं इस कारण उन्हें बतौर तरतीबी अप्रार्थीगण पक्षकार बनाया गया है एवं प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे व प्रार्थना पत्र के में वर्णित विवादित भूमि हाल ख.नं. 55 रकबा 0.8472 हेक्टेयर स्थित ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकन्दपुरा, पटवार हल्की रामरतनपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कानोता, तहसील बस्सी जिला जयपुर के वर्तमान नक्शे की तरमीम को व विवादित भूमि हाल ख नं. 56 रकबा 0.5817 हेक्टेयर स्थित ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकन्दपुरा पटवार हल्का रामरतनपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कानोता, तहसील बस्सी जिला जयपुर के वर्तमान नक्श की तरमीम को उक्त विवादित भूमियों के सम्वत 2015 के साविका नक्शे के मुताबिक दुरूस्त किये जाने का आदेश तहसीलदार बस्सी को प्रदान किया जावे का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि0 एडी/साधारण नोटिस सूचित किया गया। बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्यां 2 लगायत 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बस्सी जरिये पत्रांक भू0अ0/2024/4987 दिनांक 08.10.2024 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत करवाया कि ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा के आराजी खसरा नम्बर 55 रकबा 0.8472 है0 भूमि अर्जुन पुत्र गोपाल हिस्सा 1/15 तुलसी पत्नी स्व0 गोपाल हिस्सा 1/5 खेमराज भरतलाल मनोहर पुत्रान रामावतार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला–जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

खाली पत्नी स्व0 रामावतार हिस्सा 1/15 रामनारायण सियाराम पुत्रान नरसिम्हा हिस्सा 2/3 जाति मीना सा.देह खातेदार तथा खसरा नम्बर 56 रकबा 0.5817 है0 भूमि लक्ष्मीनारायण श्योजी पुत्रान काना जाति मीना सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। हीरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा के वर्तमान खसरा नम्बर 55 के गत खसरा नम्बर 212, 213, 214, 207, 211 मि. है तथा खसरा नम्बर 56 के गत खसरा नम्बर 195, 209, 210, 211 मि. है। उक्त खसरा नम्बर 55 व 56 के नक्शा दुरुस्ती हेतु माननीय न्यायाल उपखण्ड अधिकारी बस्सी के वाद संख्या 82/2014 उनवान तुलसी व अन्य बनाम रामनारायण व अन्य दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2018 में " वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार वादी की खातेदारी में खसरा नम्बर 55 है जो गत खसरा नम्बरान तथा मिलान क्षेत्रफल तथा गत व हाल खसरा मानचित्र की रकबा वरारी तथा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 55 की अवस्थित गत खसरा नम्बर व मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक गत खसरा नम्बर 211, 212, 213, 214 व 207 के स्थान पर कायम करने के निर्देश दिये जाते है तथा प्रतिवादी का खसरा नम्बर 56 की लोकेशन गत खसरा नम्बर मानचित्र के अनुसार गत खसरा मानचित्र के खसरा नम्बर 195, 209, 210, 211 मिन के स्थान पर करने के निर्देश दिये जाते है। इसी अनुरूप डिक्री जारी हो" का निर्णय दिया गया। तत्पश्चात प्रतिवादीगण लक्ष्मीनारायण वगैरह में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के वाद संख्या 82/2014 उनवान तुलसी बनाम रामनारायण के निर्णय दिनांक 25.06.2018 की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के वाद संख्या 864/18 उनवानी लक्ष्मीनारायण व अन्य बनाम तुलसी व अन्य में " अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के वाद संख्या 82/2014 तुलसी व अन्य बनाम रामनारायण व अन्य" दायर किया गया तत्पश्चात पुनः माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में "पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.12.2018 जो अपील संख्या 864/2018 उनवानी लक्ष्मीनारायण बनाम तुलसी वगैरह में पारित किया जाकर अपील को स्वीकार फरमाते हुये अदालत मातहत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.06.2018 को निरस्त किया जाकर दावा खारिज फरमाया गया" का दावा राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में वादी संख्या 01/2019 उनवानी तुलसी बनाम लक्ष्मीनारायण वगैरह दायर किया गया जिसको निर्णय दिनांक 04.01.2024 में "अधिवक्ता अप्रार्थी सख्या 1 व 2 द्वारा उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसमें "अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उद्रित था प्रार्थी द्वारा निरन्तर अवसर दिया जाने के पश्चात् भी अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नोटिसेज प्रस्तुत नहीं किये गये है तथा प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

है अतः प्रार्थना पत्र रिव्यू न्यायालय के आदेश की पालना नहीं किये जाने एवं अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।" का निर्णय पारित किया गया। वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा प्रचलित वाद संख्या 82/2014 तुलसी व अन्य बनाम रामनारायण व अन्य में तहसीलदार बस्सी जरिये हल्का पटवारी दिनांक 08.06.2016 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा सम्वत 2071–74 खसरा नम्बर 55 रकबा 3.07 बीघा भूमि खातेदार रामनारायण, सियाराम पिता नरसिहा हिस्सा 2/3 लाली पत्नी स्व0 रामावतार, खेमराज, मनोहर, भरतलाल पिता रामावतार हिस्सा 1/15 तुलसी पत्नी स्व0 गोपाल हिस्सा 1/5 अर्जुन पुत्र गोपाल हिस्सा 1/15 कौम मीना सा.देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा खसरा नम्बर 56 रकबा 2.06 बीघा खातेदार लक्ष्मीनारायण पुत्र काना हिस्सा 1/2 श्योजी पुत्र काना हिस्सा 1/2 जाति मीना सा.देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। भूमि एकीकरण विभाग राजस्थान नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम विजयपुरा उर्फ हीरावाला का वर्तमान खसरा नम्बर 55 रकबा 3–07 बीघा गत खसरा नम्बर 211 मि0, 213, 214, 212 व 207 को मिला कर बना है, जो संलग्न नकल नक्शा ट्रैस फोटोकॉपी मोमिया ग्राम हीराला विजयमुकुन्दपुरा तहसील बस्सी सन 1958 की नकल में गहरे नीले रंग की आउटर बार्डर से दर्शित किया हुआ है। पटवारी स्तर पर भू–प्रबन्ध विभाग से प्राप्त नक्शा लट्ठा में खसरा नम्बर 55 व 56 अस्पष्ट है। खसरा नम्बर 56 की संलग्न फोटोकॉपी भूमि एकीकरण विभाग राजस्थान नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम विजयमुकुन्दपुरा उर्फ हीरावाला तहसील बस्सी के खसरा नम्बर 56 रकबा 2–06 बीघा गत नम्बारान 195, 210, 209 व 211 मि0 को मिला कर बना है। संलग्न नकल नक्शा ट्रैस फोटोकॉपी मोमीया हीराला विजयमुकुन्दपुरा तहसील बस्सी सन् 1958 की नकल में केसरिया रंग से दर्शित है। मौके पर मुताबिक सन् 1958 के नक्शे में दर्शित रंगों अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 55 नायला रोड़ से लगा हुआ है मौके पर तारबन्दी हो रखी है व जोत हो रखी है। खसरा नम्बर 56 (वर्तमान) पड़त पडा हुआ है जो खसरा नम्बर 55 के पश्चिम में होना बताया है। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार बस्सी रिपोर्ट दिनांक 08.10.2024 एवं हल्का पटवारी रिपोर्ट दिनांक 08.06.2016 का अवलोकन करने एवं प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन पश्चात हम पाते है कि विवादित भूमि हाल ख.नं. 55 रकबा 0.8472 हेक्टेयर स्थित ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकन्दपुरा, पटवार हल्का रामरतनपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कानोता, तहसील बस्सी जिला जयपुर के वर्तमान नक्शे की तरमीम को व विवादित भूमि हाल ख नं. 56 रकबा 0.5817 हेक्टेयर स्थित ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकन्दपुरा पटवार हल्का रामरतनपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कानोता, तहसील बस्सी जिला जयपुर के वर्तमान नक्शे की तरमीम को उक्त विवादित

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला–जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

...यों के सम्वत 2015 के साविका नक्शे के मुताबिक दुरूस्त किये जाने का निवेदन ...या है। वाके ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा के आराजी खसरा नम्बर 55 रकबा ...9472 है0 भूमि अर्जुन पुत्र गोपाल हिस्सा 1/15 तुलसी पत्नी स्व0 गोपाल हिस्सा ...15 खेमराज भरतलाल मनोहर पुत्रान रामावतार लाली पत्नी स्व0 रामावतार हिस्सा ...15 रामनारायण सियाराम पुत्रान नरसिंम्हा हिस्सा 2/3 जाति मीना सा.देह खातेदार ...था खसरा नम्बर 56 रकबा 0.5817 है0 भूमि लक्ष्मीनारायण श्योजी पुत्रान काना जाति ...ना सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड होना एवं हीरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा के वर्तमान ...सरा नम्बर 55 के गत खसरा नम्बर 212, 213, 214, 207, 211 मि0 है तथा खसरा ...म्बर 56 के गत खसरा नम्बर 195, 209, 210, 211 मि. है। पूर्व में उक्त खसरा नम्बर ...5 व 56 के नक्शा दुरूस्ती हेतु माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के वाद ...ख्या 82/2014 उनवान तुलसी व अन्य बनाम रामनारायण व अन्य दायर किया गया ...। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2018 में " वर्तमान रिकॉर्ड ...अनुसार वादी की खातेदारी में खसरा नम्बर 55 है, जो गत खसरा नम्बरान तथा ...लान क्षेत्रफल तथा गत व हाल खसरा मानचित्र की रकबा बरारी तथा राजस्व रिकॉर्ड ...अनुसार वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादी की खातेदारी ...मि खसरा नम्बर 55 की अवस्थित गत खसरा नम्बर व मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक ...त खसरा नम्बर 211, 212, 213, 214 व 207 के स्थान पर कायम करने के निर्देश ...ये जाते है तथा प्रतिवादी का खसरा नम्बर 56 की लोकेशन गत खसरा नम्बर ...नचित्र के अनुसार गत खसरा मानचित्र के खसरा नम्बर 195, 209, 210, 211 मिन के ...थान पर करने के निर्देश दिये जाते है। इसी अनुरूप डिक्री जारी हो" का निर्णय दिया ...या था। तत्पश्चात प्रतिवादीगण लक्ष्मीनारायण वगैरह ने न्यायालय हाजा के वाद संख्या ...2/2014 उनवान तुलसी बनाम रामनारायण के निर्णय दिनांक 25.06.2018 की अपील ...ननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के वाद संख्या 864/18 उनवान ...क्ष्मीनारायण व अन्य बनाम तुलसी व अन्य अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान ...ाश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश की। माननीय न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा ...े निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2018 को अपने निर्णय दिनांक 14.12.2018 द्वारा ...ख़ारिज कर वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में मात्र नक्शे में हुई त्रुटी को यदि ...रूस्त कराना चाहा था तो उस हेतु धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के ...हत चाराजोही की जाने की हिदायत के साथ निर्णय पारित किया गया है। उपरोक्त ...विवेचन पश्चात् हम पाते है कि वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी में ...खसरा नम्बर 55 है जो कि गत खसरा नम्बरान तथा मिलान क्षेत्रफल तथा गत व हाल ...खसरा मानचित्र की रकबा बरारी कर गत साबिक खसरानुसार नक्शा दुरूस्ती की जानी ...है तथा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 55 की ...अवस्थिति गत खसरा व मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक गत खसरा नम्बर 211 मिन, 212,

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

213, 214 व 207 के स्थान पर कायम किया जाना तथा अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 56 की लोकेशन गत खसरा नम्बर मानचित्र के खसरा नम्बरान 195, 210, 209 व 211 मिन के स्थान पर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है कि ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा के भूमि खसरा नम्बर 55 की अवस्थिति मिलान क्षेत्रफल व गत साबिक खसरा नम्बर 211 मिन, 212, 213, 214 व 207 के मुताबिक मानचित्र कायम करने तथा अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 56 की अवस्थिति मिलान क्षेत्रफल व गत साबिक खसरा नम्बरान 195, 210, 209 व 211 मिन के मुताबिक मानचित्र किया जाता है। तहसीलदार बस्सी उक्तानुसार रकबा बरारी कर वर्तमान नक्शा ऑनलाईन एवं लठ्ठा शीट को दुरूस्ती की कार्यवाही करें। तहसीलदार बस्सी को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 11.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर (राज.)